

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/5086/

जबलपुर, दिनांक 12/07/2024

II-13-23/24

स्व. श्री हरीश सिंह राणा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को पदस्थी काल में उपभोग किये गये दिनांक 30.05.2023 से 06.06.2023 तक 8 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 07.06.2023 से 11.02.2024 तक 250 दिन का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 12.02.2024 से 16.04.2024 तक 65 दिन का अर्जित अवकाश सहित स्वीकृत किया गया।

सही/-

(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5087

जबलपुर, दिनांक 12/07/2024

II-13-23/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/1475 इंदौर दिनांक 01.06.2024 के संदर्भ में श्रीमती कमला राणा पत्नि स्व. श्री हरीश सिंह राणा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र मूलतः, मृत्यु प्रमाण पत्र, अनफिट चिकित्सा प्रमाण पत्र मूलतः एवं चिकित्सा पर्ची को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. ए.ओ. (जे) स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
5. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(दीपक बंसल)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)